न्यायालय सब जज–द्वितीय डुमरॉव, जिला–बक्सर

टी0एस0 सं0–294 / 2017

17.02.2025

वादी की पैरवी है तथा प्रतिवादी अनुपस्थित है। वादी की तरफ से शपथ पत्र के साथ दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–02.07.2024 अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं 151 सी0 पी0सी0 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता के सुनवाई के उपरान्त आदेश हेतु नियत है।

आदेश

वाद पुकार पर वादी के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी को मुकदमा के दौरान यह पता चला कि साक्ष्य बनाने के लिए मुदालेह अपने–अपने आदमियों के नाम से जाली फरेबी कबाला तैयार कर रहे हैं न तो न्यायालय से परमिशन लेते है न तो कोई सूचना वादी को देते हैं वादी पता लगा कर दिनांक–20.06.2018 को नकल निकाला एवं एक किता का छाया प्रति अंचल कार्यालय से प्राप्त हुआ जिसके आलोक में अर्जी में संशोधन करना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन पारा नंबर 9–क' निम्न प्रकार से दर्ज होगा–हिन मुकदमा प्रतिवादी शिवनाथ पाठक दिनांक–4.5.2018 को एक अमर यादव को एवं उसी तारीख को उन्होंने परमात्मा पाठक को दुसरा किता बयनामा तहरीर किया तथा रामनाथ पाठक चंद्रशेखर पाठक ने 22.5.2018 को एक किता कबाला मीना मिश्रा जौजे ददन मिश्रा को लिखा जिसका विवरण अर्जी के जमीमा नंबर 4–क' एवं ख' में दिया जाता है जिसके अवलोकन से मालुम होगा कि मुकदमा के दौरान साक्ष्य पैदा करने के उद्देश्य से तीनों किता बयनामा तैयार किया गया है जो स्वतः शून्य दस्तावेज है एवं नुमाईशी है जिसे शून्य करार देना आवश्यक है। अर्जी में प्रतिवादी 8 के बाद निम्न व्यक्तियों को पक्षकार बनाने की अनुमति दिया जाए वो मुकदमा के दौरान नुमाईशी कबाला लिए है। प्रतिवादी नंबर 9 परमात्मा यादव पिता शिवजी यादव प्रतिवादी नंबर 10 अमर यादव पिता शिव जी यादव दोनों साकिनान एवं पो0– नियाजीपुर दादा बाबा के डेरा थाना सिमरी जिला बक्सर। प्रतिवादी संख्या 11 मीना मिश्रा जौजे ददन मिश्रा साकिन एवं पोस्ट बड़कागांव नगपुरा थाना सिमरी जिला बक्सर पारा नंबर 11 के अंत में वो तीनों किता बयनामा पर 750 रूपया अलग से कोर्ट फीस दिया जाता है। दादरसी नंबर–1 के अंत में वो तीनों किता बयनामा द्वारा प्रतिवादी फरीक एक बहक मुदालय नंबर– 9, 10, 11 निस्वत सैमुदावहा जमीमा नंबर 4 क, ख, ग के बयनामा बिना अधिकार के शून्य वो नुमाईशी दस्तावेज है जोड़ने की अनुमति दिया जाये। जमीमा नंबर–4 में कबाला दिनांक–22.5.2018 वाके मौजा नियाजीपुर थाना सिमरी थाना नंबर 40 जिला बक्सर, खाता 293 प्लाट

823 रकबा 2–1/2 कट्ठा चौहदी–उ0 अमर यादव द0 ज्योतिन्द्र नाथ पाठक वगैरह पु0 हरिनारायण पाठक प0 शिवानन्द पाठक। जमीमा नंबर–4–क' कबाला दिनांक–4.5.2018 वाके मौजा नियाजीपुर थाना सिमरी थाना नंबर 40 जिला बक्सार, खाता 293 प्लाट 823 रकबा 1–1/2 कट्ठा चौहदी–उ0 परमात्मा यादव द0 रामनाथ पाठक पु0 स्व0 हरिनारायण पाठक प0 शिवानन्द पाठक जमीमा नंबर 4–ख' कबाला दिनांक–4.5.2018 वाके मौजा नियाजीपुर थाना सिमरी थाना नंबर 40 जिला बक्सर खाता 293 प्लाट 823 रकबा 1 कट्ठा चौहदी–उ0 गायत्री देवी द0 अमर यादव पु0 स्व0 हरिनारायण पाठक प0 शिवानन्द पाठक है। यह सब्सीक्वेन्ट इभेन्ट है जिससे मुकदमा का नेचर नहीं बदलता है बल्कि न्यायहित के लिए संशोधन आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जी से हसब जैल एबारत जोड़ने की अनुमति दिया जाए।

प्रतिवादी को प्रस्तुत वाद में प्रतिउत्तर दाखिल करने से वंचित किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता को अभिलेख अभिदर्शित कराया गया तथा प्रतिवादी को प्रतिउत्तर देने से वंचित किया गया। वादी द्वारा आवेदन के साथ रिजष्ट्री केबाला की छायाप्रति दाखिल किया गया है। अनवर्ती घटना है संशोधन आवेदन में प्रस्तावित पक्षकार आवश्यक पक्षकार है। विवादित एराजी के संबंध में रजिष्ट्री केबाल को चुनौती देना आवश्यक प्रतीत होता है। संपूर्ण न्याय निर्णयन के लिए उक्त संशोधन आवश्यक प्रतीत होता है। उक्त आवेदन महज औपचारिक प्रकृति का है इससे वाद की प्रकृति एवं स्वरूप पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः न्यायहित में दिनांक–02.07.2024 का संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय सिरिस्तेदार प्रतिवेदन की मांग करें। प्रतिवादी अगर चाहे तो अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

दिनांक–26.03.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही।

लेखापित

सक्सेसर/प्रभारी सब जज–द्वितीय,
डुमरांव